राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धरा 20 के अधीन)

~~प.1(69) [illegible] 15-30X~~ 24-10-57 दिनांक 24.10- सन् 57

कि विज्ञप्ति संख्या [illegible] दिनांक [illegible]
लखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (1953 का अधिनियम संख्या 13) के अधीन आरक्षित वन के रूप
ये जाने का प्रस्ताव किया गया था ;

ौर चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के 'बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत
और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें, यदि हों, निपटा दी गई हैं ;

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और
में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं ;

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति
अधीन सरकार में निहित हो गई हैं ।

अतः [illegible] राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग
[illegible] सरकार उक्त भूमि को दिनांक १ मार्च १९५८ से प्रभाव [illegible] आरक्षित वन
[illegible] करती है और इस प्रज्ञापन के अधीन है कि [illegible] अधिकारों को [illegible]
[illegible] के उल्लेखित सीमा तक अधिकार [illegible] सूचि(१) के उल्लेखित सीमा तक
[illegible] के उक्त वन के ऐसे भागों के बारे ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा
[illegible] पर निर्धारित हों, [illegible] का उपयोग करेंगे. राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव ।

भूमि का विवरण

[illegible]ला	तहसील	पट्टी या वन-खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
[illegible]पुर	[illegible]	[illegible]	१) [illegible]	[illegible]	[illegible]
			२) [illegible]	[illegible]	[illegible]
			३) [illegible]	[illegible]	
			४) [illegible]	[illegible]	
			५) [illegible]	[illegible]	
			६) [illegible]	[illegible]	
			७) [illegible]	[illegible] ([illegible])	
			८) [illegible]	[illegible]	
			९) [illegible]	[illegible]	
			१०) [illegible]	[illegible]	
			११) [illegible]	[illegible]	
			१२) [illegible]	[illegible]	
			१३) [illegible]	[illegible]	
			१४) [illegible]	[illegible]	

सच्ची प्रतिलिपि

[illegible] बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर (राज०)